संख्या-444/1-10-2014-11(23)/2004

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक : 13 जून, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु विभिन्न अग्निशमन उपकरणों/वाहनों/संयत्रों एवं मशीनों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के अर्द्धशा0पत्र संख्या-908/छः-पु-2-2014-1100(08)/13, दिनांक 29.04.2013 द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल धनराशि रू0 9,87,58,059/- (रूपये नौ करोड़ सत्तासी लाख अट्ठावन हजार उनसठ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विभाग	मद	वित्तीय वर्ष 2013—14 में दी गयी धनराशि (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2013—14 में समर्पित धनराशि (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2014—15 में मांगी जा रही धनराशि (रूपये में)
पी0ए0सी0	एल्युमिनियम मोटर बोट एवं रबराइज्ड मोटर बोट हेतु वित्तीय वर्ष 2012—13 के दैवी आपदा कार्यों के संचालन के लिए मोटर बोट हेतु वित्तीय वर्ष 2013—14 में अतिरिक्त धनावंटन	4,86,00,000 एवं 1,27,55,200	4,50,46,640	4,50,46,640
	मोटर बोट की मरम्मत एवं बचाव कार्य हेतु	22,00,000	—	44,00,000
	आपदा राहत कार्यों हेतु लाइटिंग सिस्टम/स्टाय ट्यूब/ड्राई बैग एवं स्ट्रेचर आदि उपकरणों का क्रय हेतु	49,00,743	15,08,013	15,08,013
	योग	6,86,55,943	4,65,54653	5,09,54,653
फायर सर्विस	प्रदेश की 26 तहसीलों की अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु उपकरणों, वाहनों एवं तम्बू के क्रय हेतु	4,80,90,000	2,63,95,460	2,37,44,605
	विभिन्न अग्निशमन उपकरणों / वाहनों / मशीनों एवं	[illegible]	[illegible]	[illegible]

APADA DHANAWANTAN 2014 15

	सयंत्रों के क्रय हेतु			
	योग	12,46,77,432	5,33,23,673	4,78,03,406
	कुल योग	19,32,34375	9,98,76,326	9,87,58,059

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

3- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

4- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-444 (1)/1-10-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विस इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
7- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गृह (पुलिस) अनुभाग-2
9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व, अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।